राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांक स.3(3)(02)स्था/मंत्रा/अभि/2020/10457-77 दिनांकः-16/09/2020

—: कार्यालय आदेश :—

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर के नियुक्ति आदेश क्रमांक स.3(3)(02)स्था/मंत्रा/अभि/2020/9773—9800 दिनांक 27.08.2020 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा—2018 की प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण NON-TSP अभ्यर्थियो को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अभियोजन विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन पदस्थापित किया जाकर 15 दिवस में दिनांक 10.09.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है परन्तु निम्नलिखित अभ्यर्थियों ने 15 दिवस का कार्यग्रहण समय व्यतीत होने के उपरान्त भी सम्बन्धित पदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण नही किया गया है।

क्र.सं	मेरिट संख्या	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	पदस्थापन कार्यालय
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1265	श्री विशाल लवानिया	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	कार्यालय स०नि०अ० बाडमेर
2.	1802	श्री चमन कुमार	श्री रामकिशन कुशवाह	कार्यालय स०नि०अ० पाली
3.	2028	श्री राज कुमार शर्मा	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	कार्यालय स०नि०अ० जैसलमेर
4.	2472	सुश्री रिंकी पाठक	श्री सुबोध पाठक	कार्यालय स०नि०अ० झालावाड
5.	2525	श्री पंकज कुमार	श्री विक्रम सिंह	कार्यालय स०नि०अ० बाडमेर
6.	2541	सुश्री रेणुका जांगिड़	श्री सीता राम जांगिड़	कार्यालय स०नि०अ० बांरा
7.	5201	श्री गौरव कुमार सैनी	श्री ओम प्रकाश सैनी	कार्यालय स०नि०अ० अलवर
8.	5482	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री रणधीर सिंह	कार्यालय स०नि०अ० जैसलमेर
9.	14040	श्री संदीप किराड़	श्री किशन लाल किराड़	कार्यालय स०नि०अ० जैसलमेर

उपरोक्त अभ्यर्थियों नियुक्ति आदेश क्रंमाक 9773—9800 दिनांक 27.08.2020 की निरन्तरता में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु **15 दिवस कार्यग्रहण काल** और बढ़ाया जाता है। कार्यग्रहण बढाने हेतु यह **अन्तिम अवसर** दिया जाता है इसके बाद कार्यग्रहण बढाने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा एंव समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। नियुक्ति आदेश में अंकित शर्ते पुर्वानुसार रहेगी।

sd/-
(राजेन्द्र कुमार सैनी)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग—3) विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक अभियोजन जोधपुर/कोटा/जयपुर द्वितीय।
4. सहायक निदेशक अभियोजन, बाडमेर/पाली/जैसलमेर/झालावाड/बांरा/अलवर।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर।